



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 300) पटना, सोमवार, 12 अप्रील 2021

IE 27@vkjki&01&13@2021&4123@lk0i0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
25 मार्च 2021

श्री प्रभु दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 828/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर के विरुद्ध जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर के पद पर पदस्थापन के दौरान अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं गबन संबंधी आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-8653 दिनांक-09.11.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

2. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक-5523 दिनांक 18.04.2016 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री दास के पत्रांक-1131 दिनांक-18.06.2016 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पत्रांक-3871 दिनांक-24.09.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री दास द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है।

3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री दास द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा उस पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रतिवेदित मंतव्य का सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त प्रस्तुत मामले की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत श्री दास के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

4. श्री दास के विरुद्ध संचालित की जा रही इस विभागीय कार्यवाही में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री दास से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 300-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>